फर्द अहकाम

शिवराम बनाम राज0 सरकार ,तहसीलदार सांगानेर

पत्र संख्याः /2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.07.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खोखावास, पटवार हल्का दुर्गापुरा, राजस्व की जमाबन्दी नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता 77 तथाना पुराना खसरा नम्बर 93, 94 है तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नया खसरा नम्बर 215 बने है वर्तमान के ट्रेस नक्शे में खसरा नम्बर 215 के नक्शे की लाईन में घुमाव कर दिया है तथा पूर्व के पुराने नक्शे में लाईन सीधी है। वर्तमान में ट्रेस में घुमाव है इसको पुराने नक्शे के अनुसार दुरस्त करवाया जाना है। अत– प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरी जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड के खसरा नम्बर 215 के नक्शे को दुरूस्त करवाकर पुराने नक्शे के अनुसार आदेश पारित करने की कृपा करे। उक्त प्रकरण नक्शे की दुरूस्ती से सम्बंधित है जिसमें तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट ली गई। बहस वकील प्रार्थी व तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त मौका रिपोर्ट व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि तहसीलदार सांगानेर ने मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोखावास के खसरा नम्बर 215 मौके पर उक्त खसरा नम्बर के दोनों तरफ सघन आबादी है उक्त खसरा नम्बर के आशिंक भाग पर मकानात बने हुए है एवं शेष भाग पर खाली पडा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर 215 पर आबादी बसी होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सघन आबादी होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	